ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 72 / 2025

निर्णय दिनांक :– 18.02.2026

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. उषा बाई पत्नि मूलचन्द जाति महाजन उम्र बालिग निवासी मकान संख्या 198, राजमंदिर मोहल्ला, गगचाना तहसील छीपाबड़ौद जिला बांरा राज0
2. कृष्ण गोपाल अग्रवाल पुत्र चांदमल अग्रवाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी कृष्णा होटल के पीछे, जयपुर रोड़, देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री प्रेमचंद जैन
श्री अनिल कुमार चौहान
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नं0 263 रकबा 1.2000 है0 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नं0 1442 / 201 रकबा 1.0600 है0 गै0मु0 रास्ता एवं खसरा नं0 1445 / 201 रकबा 0.5540 है0 राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 1442 / 201 से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं0

Ruby

/201 मे से होकर वर्षो से आते जाते रहे है तथा वर्तमान मे भी उपयोग भोग कर रहे है तथा अपने कृषि संबंधी यंत्र भी इसी रास्ते से होकर लाते ले जाते है तथा वर्तमान मे उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहे है। जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 1442/201 से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं0 1445/201 मे से होकर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नं0 263 रकबा 1.200 है0 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 1442/201 से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं0 1445/201 मे से होकर 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:– प्रार्थी की अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नही हैं प्रार्थी को रास्ते का आवश्यकता अत्यधिक हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नं0 1442/201 से जुडा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 55 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर कुल क्षेत्रफल

Ruby

वर्गमीटर यानि 0.055 है0 भूमि प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 908000 रू0 प्रति हैक्ट0 है जिसके हिसाब से एक गुना राशि 49940 रू0 एवं दुगुनी प्रतिकर राशि 99880 रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ख0नं0 1445/201 में से रास्ता चाहता है जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ता बिलानाम काबिल काश्त भूमि है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़ दीवार इत्यादि नहीं है। अप्रार्थी नियमानुसार उक्त रास्ता देने हेतु सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

अतः नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में प्रस्तुत है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 263 रकबा 1.2000 है0 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि **कार्यालय कमांकः राजस्व/2026/1068 दिनांक 03.02.2026 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न**

Ruby

चौड़ाई 10 मीटर कुल क्षेत्रफल 550 वर्गमीटर यानि 0.0550 हे0 हो गया। प्रस्तावित रास्ते हेतु कुल क्षेत्रफल 550 वर्गमीटर लिये प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 908000/– रूपये प्रति0 है0 के अनुसार 550 वर्गमीटर के लिये एक गुणा कुल राशि 49940 व दुगुनी 99880 रूपये प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली